भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4159

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोगों के लिए आयुष पैकेज

4159. श्री दुलू महतो:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री अरुण गोविल:
डॉ. भोला सिंह:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री आलोक शर्मा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री लुम्बा राम:
डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के स्टोरों में शामिल किए जाने वाले आयुष उपचार पैकेजों का ब्यौरा क्या है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया और हाईपरटेंशन जैसे गैर-संक्रामक रोगों के इलाज में इन पैकेजों के राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिलावार, विशेषकर झारखंड और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल पालघर जिले में, किस प्रकार सहायक होने की संभावना है;

(ख) सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष उपचार हेतु पैकेजों की लागत संरचना को अंतिम रूप देने के लिए बीमा कंपनियों के साथ किस प्रकार कार्य कर रही है और उनके कवरेज के लिए स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है;

(ग) क्या सरकार का पंचकर्म, योग, आयुर्वेदिक औषधियों, यूनानी उपचार, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष पैकेजों के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस सिलसिले में संवेदनशील आबादी, विशेषकर गैर-संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए वहनीय और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत इन आयुष उपचार पैकेजों को शुरू करने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आयुष पैकेजों को वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने की योजना का ब्यौरा क्या है और चयनित राज्यों में शुरू की जाने वाली प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) आज की तिथि के अनुसार, एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आयुष उपचारों की उपलब्धता के संबंध में लाभार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) एबी-पीएमजेएवाई योजना में आयुष उपचारों को शामिल करने से देश में पारम्परिक चिकित्सा को मुख्यधारा के स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करने में किस प्रकार योगदान मिलेगा और इससे आम जनता को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लक्ष्य भारत की निचली 40% आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों से संबंधित लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल प्रदान करने वाले अस्पतालों में भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य संबंधी उपचार प्रदान करना है।

नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में 27 विशेषताओं में 1,961 पैकेज शामिल हैं, जो पीएम-जेएवाई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले से मौजूद सभी स्थितियों को पहले दिन से शामिल किया जाता है और सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को शामिल करने वाली पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं की एक सूची शामिल होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में नए पैकेजों को जोड़ने का कार्य विभिन्न विशेषताओं के लिए गठित चिकित्सा विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

यह समिति नैदानिक प्रासंगिकता, लागत-प्रभावशीलता और रोगी देखभाल और स्वास्थ्य परिणामों पर प्रस्तावित पैकेजों के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए नए पैकेज को शामिल करने की आवश्यकता का आकलन करती है। यह समिति स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मार्गदर्शन करने और दावा प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देशों और आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अंतिम रूप देती है। इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के स्वास्थ्य नीति तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग द्वारा की जाती है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज में शामिल करने हेतु पैकेजों को अंतिम रूप दिया जाता है।

आयुष पैकेज आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाई) में शामिल नहीं हैं।

(ख) से (ज): प्रश्न नहीं उठता।

*****